

जनपद बाराबंकी

दिनांक 25.04.2021

बाराबंकी के विभिन्न थानों द्वारा अभियान चलाकर कुल 06 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से देशी/अंग्रेजी शराब बरामद।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के आदेशानुसार जनपद के समस्त थानों द्वारा अवैध मद्य निष्कर्षण एवं अवैध शराब परिवहन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में समस्त क्षेत्राधिकारीगण के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारियों के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कुल 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से देशी / अंग्रेजी शराब बरामद किया गया।

→ थाना बदोसराय पुलिस द्वारा चार अभियुक्तों को 34 क्वार्टर अंग्रेजी/ देशी कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

→ थाना बदोसराय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. मित्रसेन यादव उर्फ मुन्ना पुत्र सर्वजीत यादव निवासी मंझार थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी 2. संजय कुमार पुत्र गया प्रसाद रावत निवासी नारें का पुरवा मजरे छन्दवल थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी को दिनांक 24.04.2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 20 क्वार्टर अंग्रेजी शराब (180 मिली0) बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बदोसराय पर मु0अ0सं0 65/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

→ थाना बदोसराय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. राधेश्याम पुत्र जगेश्वर गुप्ता 2. प्रेम पुत्र सतगुरु निवासीगण अद्रा थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी को दिनांक 24.04.2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 14 क्वार्टर देशी कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बदोसराय पर मु0अ0सं0 66/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

→ थाना कोठी पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को अवैध देशी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

→ थाना कोठी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त पप्पू गोस्वामी पुत्र रामप्रकाश गोस्वामी निवासी व्याजानगर थाना कोठी जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 25.04.2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 20 क्वार्टर देशी शराब (200 मिली0) बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोठी पर मु0अ0सं0 124/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

→ थाना कोठी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त योगेन्द्र कुमार पुत्र रामसेवक निवासी सरायपुरखू थाना कोठी जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 25.04.2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 13 पउवा अवैध देशी शराब बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोठी पर मु0अ0सं0 125/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।